न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 57/2020 (अपील)

बाबूलाल आत्मज नन्दा जाति भील निवासी हनोतिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

—–अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—–रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 19.02.2020 मि0नं0 466/2020 तहसीलदार रामगंजमण्डी कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–24.11.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने ग्राम हनोतियां की भूमि खसरा नम्बर 53 की 0.24 हे0 में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए प्रकरण संख्या 466/2020 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 50/-- रूपये की शास्ति व 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 19.02.2020 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 30.09.2020 को पेश की गई है कि अदालत मातहत ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट कि अपीलान्ट ने ग्राम गादिया की खसरा नं. 53 की 0.24 हे0 भूमि चारागाह पर सम्पत 2076 में अतिक्रमण कर काश्त की है को आधार मानकर अपीलान्ट को अतिक्मी के आरोप में लगान का पचास गुना तावान 50/– कायम कर दिया तथा पश्चातवर्ती अतिक्मी के आरोप में नम्बे 90 दिन की सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया है । अदालत मातहत का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण

जिला कलेक्टर कोटा

निरस्तनीय है । अदालत मातहत ने आस पास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्व किये बिना व शहादत लिये बिना व मौका मुआयना किये बिना तथा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना मात्र कयास के आधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में हुक्म जैर अपील पारित किया है जो खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है तथा अपीलान्ट का भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया है । अदालत मातहत ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिसका सर्वप्रथम ज्ञान पुलिस द्वारा अपीलान्ट को गिरफ्तार करने गांव में आने पर व गिरफ्तार करने व जमानत कराने पर हुआ इस पर अपीलान्ट ने निर्णय की नकल दिनांक 24.9.2020 को प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है इस प्रकार जानकारी की तिथि से नकल के दिन एवं अपील के खर्चे हेतु लगने वाले दिन को मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । वर्तमान में उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 0.24 हे0 चारागाह भूमि पर अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया है एवं कब्जा नहीं है । इस बाबत शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत भी किया गया है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धिति कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । इसलिए अपील स्वीकार की जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जो सही है । अपील खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.2020 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 30.09 2020 को पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 19.02.2020 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 24.09.2020 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षम्य किया जाकर

धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि बाबूलाल आत्मज नन्दा जाति धाकड़ निवासी ग्राम हनोतियां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम गादिया की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 0.24 हैक्टेयर में अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ तथा उसे बेदखल करते हुए 50/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा तहसीलदार रामगंजमण्डी मौके पर कब्जा हटाने की पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक से कराई जावें तथा यह साबित हो जावें कि वास्तव में अतिक्रमी द्वारा भौतिकरूप से अपना कब्जा हटा लिया है तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर

कोटा